# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 44 /2020 – प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन

1. चैनसुख पुत्र रतन लाल जीनगर निवासी गंगापुर जिला भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर लाल पुत्र चंपा लाल जाट अधिवक्ता —अप्रार्थी

रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 36/2019 उनवान चैनसुख जीनगर बनाम रामेश्वर लाल जाट दिनांक 10.06.2020

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

## आदेश

दिनांक 15.07.2020

प्रार्थी ने पुनर्विलोकन याचिका विरूद्व निर्णय दिनांक 10.06.2020 प्रकरण सं. 36/2019 में प्रस्तुत की। प्रार्थी ने याचिका में अंकित किया कि उक्त प्रकरण की पेशी दिनांक 29.11.2019 को प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश कर लहरू लाल गुर्जर एवं पप्पूलाल शर्मा को न्यायालय में उपस्थित कराकर बयान के लिए निवेदन किया था तथा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.06.2020 तक भी तलब नही किया जो कि सारवान साक्षी हैं और निवेदन किया कि इन्हें न्यायालय में बुलाकर इनके हस्ताक्षर न्यायालय के सामने कराने का कष्ट करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अधिवक्ता रामेश्वर लाल जाट ने लहरू लाल की पहचान किसी सुरेश चौधरी द्वारा किया जाना बताया हैं, यह सब झूठ हैं। प्रकरण से संबंधित किसी भी दस्तावेज पर किसी सुरेश चौधरी के किसी भी जगह हस्ताक्षर नहीं है। एडवोकेट द्वारा कहीं पर भी सुरेश चौधरी की पूरी पहचान पिता का नाम इत्यादि नही बताए गये हैं, जबकि इंडियन एडवोकेट एथिक्स एण्ड प्रोफेशनल कंडक्ट में यह स्पष्ट हैं कि वादी की पहचान के बारे में पूरा संतुष्ट होने के बाद ही केश दायर करे। इस न्यायालय में भी उक्त एडवोकेट ने वकालतनामें पर झूठा कथन किया हैं जो कानून की भाषा मे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं। प्रार्थी ने अपने कथन की सत्यता के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किये हैं, जबकि एडवोकेट रामेश्वर जाट द्वारा कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 14/2015 एवं 16/2015 को न्यायालय द्वारा वाद में सभी तथ्य झूठे पाये जाने से दिनांक 28.08.2015 को सारहीन मानकर निरस्त किया गया था। सही तथ्य तो यह हैं कि लहरू गुर्जर के अनपढ़ होने का लाभ लेकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अतः निवेदन हैं कि अनुसूचित जाति के सदस्य परिवार के साथ गैर अनुसूचित जाति / जनजाति सदस्यों द्वारा किये गये अत्याचार के विरूद्व कार्यवाही कर उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर न्यायालय निर्णय आदेश को पुनरिक्सन/रिव्यू करने का आवेदन स्वीकार करें।

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रिव्यू (पुनर्विलोकन याचिका ) का अवसर विस्तार – ''यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रकियाओं में ठीक किया जा सकता है, परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– '' Review error apparent on face of record, means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons.''

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं। प्रकरण सं. 36/2019 में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 10.06.2020 को ही निर्णित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 15-07-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा